

झारखण्ड सरकार
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

ज्ञापांक-रा0आ0आ0 (वाद) 05/2020- 508 राँची, दिनांक- 07.09.2020

कोर्ट नोटिस

सेवा में,

जिला आपूर्ति पदाधिकारी,

रामगढ़।

श्री भैरव प्रसाद महतो, जनवितरण प्रणाली दुकानदार,

ग्राम-डिमरा, पो0-सोनडिमरा, थाना-बरलेगा प्रखण्ड-गोला, जिला-रामगढ़।

विशय:-

श्री नरेश बेदिया, ग्राम-डिमरा, पो0-सोनडिमरा, थाना-बरलेगा, प्रखण्ड-गोला, जिला-रामगढ़ के मामले में सुनवाई हेतु आयोग कार्यालय में उपस्थित होने के सम्बन्ध में।

महाशय,

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि श्री नरेश बेदिया, ग्राम-डिमरा, पो0-सोनडिमरा, थाना-बरलेगा, प्रखण्ड-गोला, जिला-रामगढ़ द्वारा प्राप्त शिकायत पत्र के आलोक में आयोग को सूचना प्राप्त हुई है कि अपीलकर्ता द्वारा पूर्व में किए गए शिकायत को वापस लेने हेतु जनवितरण प्रणाली दुकानदार श्री भैरव प्रसाद महतो द्वारा दबाव डाला जा रहा है। जनवितरण प्रणाली दुकानदार श्री भैरव प्रसाद महतो द्वारा कम अनाज देना, अभद्र व्यवहार करना एवं अंगूठा लगाकर राशन नहीं देना जैसे गंभीर आरोप हैं।

अतः विषय की गंभीरता को देखते हुए इस सम्बन्ध में दिनांक - 22.09.2020 को 2.00 बजे अपराह्न आप स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि के माध्यम से आयोग कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

विभवासभाजन

(मदन मोहनपति त्रिपाठी)

विशेष कार्य पदाधिकारी,

झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

ज्ञापांक:- रा0आ0आ0 (वाद) 05/2020- 508

राँची, दिनांक- 07.09.2020

प्रतिलिपि:- प्रतिलिपि:-श्री शंभू कुमार, राज्य प्रमुख, प्रज्ञा केन्द्र को सूचनार्थ प्रेषित।
उनसे अनुरोध है कि सम्बन्धित प्रज्ञा केन्द्र को अपने स्तर से पत्र प्राप्त कराते हुए श्री नरेश बेदिया, ग्राम-डिमरा, पो0-सोनडिमरा, थाना-बरलेगा, प्रखण्ड-गोला, जिला-रामगढ़ को सुनवाई से सम्बन्धित पत्र प्राप्त करा दें तथा प्राप्ति की सूचना आयोग के वेबसाईट-jharkhandsfc.in पर लोड कर दिया जाय।

(मदन मोहनपति त्रिपाठी)

विशेष कार्य पदाधिकारी,

झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।